

राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर, जिला-दौसा

सरकार जरिये तहसीलदार बैजूपाडा. बनाम कल्याण सिंह वर्मा.

सू. नं. 21/21

किसम मुकदमा ->

अन्तर्गत धारा 131 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस हुक्म
की तामील में जारी हुए

15/11/21

प्रशासन गांवो के संग अभियान के अन्तर्गत कैम्प ग्राम पंचायत गोलाडा में तहसीलदार बैजूपाडा द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 एवं राजस्थान भू राजस्व (भू.अ.भि.) नियम 1957 के नियम 58, 59 व 60 एवं 66, 86 के अन्तर्गत, इस आशय का प्रस्तुत किया है कि आराजी खसरा नंबर 1589 स्थित ग्राम..गोलाडा पटवार हल्का गोलाडा तहसील बैजूपाडा जिला दौसा जिस पर मौके पर सार्वजनिक रास्ता बना हुआ है एवं रास्ते के उपयोग में आ रहा है। किन्तु राजस्व अभिलेख में रास्ता अभिलिखित नहीं है। उक्त भूमि पर किसी न्यायालय का स्थगन नहीं है। तहसीलदार बैजूपाडा द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ सार्वजनिक रास्ता के रूप में उपयोग में आ रही भूमि को नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाया गया है। प्रस्तावित रास्ता का अंकन राजस्व अभिलेख में करने हेतु निवेदन किया है। उक्त प्रा. पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर न्यायालय द्वारा उक्त प्रस्तावित भूमि के निजी खातेदारान को अपना पक्ष दिनांक 15.12.2021 को प्रस्तुत करने हेतु नोटिस जारी किये गये। उक्त तिथि को खातेदार कैलाश चन्द शर्मा पुत्र श्री विहारी लाल शर्मा निवासी गोलाडा द्वारा अपनी असहमति इस न्यायालय में प्रस्तुत की। जो शामिल पत्रावली है।

पत्रावली का अवलोकन किया। चूंकि उक्त रास्ते के लिए प्रस्तावित भूमि निजी खातेदारान की है एवं खातेदार कैलाश चन्द शर्मा पुत्र श्री विहारी लाल शर्मा निवासी गोलाडा द्वारा प्रस्तावित रास्ता का अंकन राजस्व अभिलेख में करने हेतु अपनी असहमति इस न्यायालय में प्रस्तुत की। बिना सम्पूर्ण खातेदारो की सहमति के उनकी खातेदारी भूमि से रास्ता दिया जाना न्यायोचित नहीं है। अतः तहसीलदार. बैजूपाडा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 को खातेदार कैलाश चन्द शर्मा पुत्र श्री विहारी लाल शर्मा निवासी गोलाडा के द्वारा प्रस्तावित रास्ता का अंकन राजस्व अभिलेख में करने हेतु असहमति होने के कारण अस्वीकार किया जाकर खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दपतर हो।



(अमित कुमार वर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर(दौसा)